IJAER/July-August 2018 /Volume-7/Issue1/Article No-1/1-9 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

"अकबर शासन काल में हिन्दू–मुस्लिम सम्बन्धों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव"–एक समालोचनात्मक अध्ययन

Dr Manjusha Rani

Post Doctoral Fellow, UGC New Delhi

मध्यकालीन भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक निरंतरता बनी रही। सल्तनतकालीन परिस्थितियों और मुगलकालीन परिस्थितियों में कोई मौलिक अंतर नहीं था। केवल कुछ आंशिक परिवर्तन आये थे। मुगलकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक विस्तृत सूचनाएँ उपलब्ध हैं। नगरीय जीवन के सम्बन्ध में मुख्यतः यूरोपीय यात्रियों के वृतांत, व्यापारिक कम्पनियों के विपन्न, तथा ग्रामीण जीवन के सम्बन्ध में मुगल प्रशासनिक दस्तावेज इस सूचना की प्राप्ति में सहायक हैं।

सामाजिक जीवन

मुगलकालीन समाज की संरचना सल्तनतकाल से बहुत भिन्न नहीं थी, सिवाय इसके कि इस काल में जैनों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आये थे, सिक्ख एक नये और महत्वपूर्ण सम्प्रदाय के रूप में उभरे थे और ईसाईयों की संख्या भी बढ़ी थी। उन्हें मुगल दरबार में ज्यादा प्रभाव भी प्राप्त हुआ था। हिन्दू समाज में पूर्ववत् जाति पर आधारित विभाजन बने रहे। भक्ति आन्दोलन के प्रभाव में जाति–प्रथा का खण्डन करने वाले सन्तों का पदार्पण भी हुआ। उनके द्वारा नए सम्प्रदायों की स्थापना भी हुई जिनके सदस्य जाति–प्रथा के सिद्धान्तों को नहीं मानते थे परन्तु इन सबका प्रभाव अत्यन्त सीमित रहा और जाति–प्रथा की जटिलता में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। मुस्लिम समाज का स्वरूप भी पूर्ववत् रहा। केवल विदेशी मसलमानों में ईरानियों की संख्या और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह प्रक्रिया अकबर के समय में आरम्भ हुई। हब्शियों और अरबों का महत्व पूर्व काल की तुलना में बहुत कम हो गया। 18वीं शताब्दी तक मुगल सामन्तों में दो वर्ग ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रह गए थे। ये थे भारतीय मुसलमान और तूरानी। इस काल की दरबारी गुटबंदियों और षडयंत्रों में इन दोनों की भूमिका विशेष महत्व रखती है।

समाज में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में सुधरी थी। मुगल काल में अनेक विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं की चर्चा मिलती है, जो हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों से सम्बन्धित थीं। जैसे जहाँआरा, नूरजहाँ, गुलबदन बेगम, चाँदबीबी, दुर्गावती और ताराबाई परन्तु सामान्यतः महिलाओं को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे पर्दा प्रथा, बहु–विवाह, बाल–विवाह, सती प्रथा, बाल–हत्या आदि। अकबर द्वारा सामाजिक सुधारों के प्रयास किये गए। उसने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। बहुविवाह एवं सती का प्रचलन रोका और विवाह के लिए निम्नतम आयु निर्धारित करने के आदेश दिये। परन्तु ये प्रयास बहुत सफल सिद्ध नहीं हुए।

दूसरी ओर दासों की स्थिति में सल्तनकाल की तुलना में गिरावट आयी। दासों को अब मात्र सेवक के रूप में अथवा घरेलू काम–काज के सहायक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। उन्हें प्रशासनिक अथवा सैनिक पदों पर नियुक्ति वस्तुतः बन्द हो गयी। स्वाभाविक रूप से समाज में उनकी स्थिति में गिरावट आयी।

मुगलकाल में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया कि मदरसों के पाठ्यक्रम में धर्मातिरिक्त विषयों, जैसे गणित, दर्शन, साहित्य आदि का महत्व बढ़ा। इसी के साथ गैर मुस्लिमों द्वारा फारसी शिक्षा के प्रति अधिक अभिरूचि दिखायी गयी। इसके दो कारण थे। एक तो हिन्दुओं को प्रशासनिक पदों पर काफी संख्या में नियुक्तियाँ मिलने लगी थीं और इनके लिए फारसी शिक्षा इन नौकरियों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य थी क्योंकि फारसी ही प्रशासनिक कार्यों की भाषा थी। दूसरे पाठ्यक्रम में धर्मातिरिक्त विषयों का महत्व बढ़ने के कारण गैर–मुस्लिमों के लिए भी अब यह शिक्षा पद्धति अधिक उपयोगी बन गयी थी। यह परिवर्तन लोदी काल से ही आरम्भ हो गये थे, मगर इनका परिपक्व रूप मुगलकाल में ही प्रस्तुत हुआ। इसी के साथ–साथ हिन्दू और मुस्लिम समाज में शिक्षा का परम्परागत रूप भी पूववत बना रहा।

हिन्दू और मुस्लिम समाज के बीच सम्पर्क से एक मिली–जुली परम्परा का आरम्भ हुआ। रहन–सहन के ढंग, खान–पान, वेश–वूषा, त्यौहार एवं उत्सव आदि में एक मिली–जुली परम्परा विकसित हुई। मुगलकाल में इस समन्वयवादी का दरबारी जीवन से भी घनिष्ठ सम्पर्क रहा। अकबर द्वारा राजपूत शासकों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाने और वैवाहिक सम्बन्धों की स्थापना से शासक वर्ग के जीवन में भी समन्वय आया और मुगल दरबार के रीति–रिवाज पर राजपूत परम्परा का प्रभाव पड़ा। बाद में मुगल परम्पराओं ने राजपूतों के दरबारी जीवन को भी प्रभावित किया।

वेशभूषा :

विभिन्न वर्गो के लोगो की वेशभूषा आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित थी। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें हम मुख्यतः दो वर्गो में विभाजित कर सकते हे– पहला उच्च वर्ग जिसमें शासक एवं अमीर वर्ग के लोग थे, दूसरे निम्न वर्ग जिसे दुसरे शब्दों में हम साधारण वर्ग भी कह सकते है,, जिसके किसान, मजदूर, कारीगर और दास थे।

मुगल सम्राट अपनी नयी पोशाकों के प्रति काफी जागरूक थे। उन्होंने कई नई पेशाकों का आविष्कार किया। सम्राट हुमायूँ ने लबादे के एक नये स्वरूप का अविष्कार किया, जो कमर से कटा हाता था। और सामने खुला रहता था। हुमायूँ इसे ज्योतिष विज्ञान की अपनी रूचि के अनुसार कई रंगों में काबा से ऊपर पहनता था। यह कोट कई अवसरों पर अमीरों एवं अन्य लोगों को खिलअत के रूप में प्रदान किया जाता था हूमायूँ के सन्दर्भ में एक अन्य परिधार इलबग्चा ह जो एक प्रकार का ढीला कोट है। सम्राट अकबर की वस्त्रों में अत्यधिक रूचि थी इसके लिए उसने कुशल दर्जियों की नियुक्ति की, जिनहोंने उसके दरबार में लगे कपडो में सुधार किया। अबुल फजल ने आइन–ए–अकबरी में ग्यारह प्रकार के कोट का उल्लेखप किया हौ। तकौचिया, पेशवाज, शाहअजीदा, गदर, काबा इत्यादि। चकमन तथा फरगुल का प्रयोग बरसाती कोट के रूप में किया जाता था। फरगुल एक प्रकार का रोएदार कोट था जिसका उपयोग शीतकाल में किया जाता था, हुमायूँ ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था।

अकबर भी नक्षत्रों के अनुसार वस्त्र धार करता था। वह हिन्दुओं की तरह धोती भी पहनता था जिसके चुनट किये हुए निचले भाग में मोती जड़े रहते थे फादर रूडोल्फ ने अकबर को सर्वप्रथम सिल्क कली धोती पहने हुये देखा। मान्सरेट ने अकबर की पोशाक के विषय में लिखा है – "जहाँपनाह सिल्क के कपड़े पहनते थे जिस पर साने की कढ़ायी हुयी रहती थी। जहॉपनाह का लबादा उनके जूतों तक रहता था ओर उनकी एड़ियॉ तक ढकी रहती थी वह मोतियों एवं सोने के आभूषण पहने रहते थे अपने पिता की भॉति जहागीर भी वस्त्रों में रूचि रखता था। वह कलंगीदार पगड़ी धारण करता था। वह हीरा जवाहरात जड़ित जंजीर गले में पहनता था उसके वस्त्रों में भी हीरा मोती तथा अन्य रत्न जड़े रहते थे। जहॉगीर के आदेशानुसार कोई भी उसके वस्त्रो को अनुकारण नहीं कर सकता था, केवल सम्राट द्वारा उपहार में दिये गये उसी प्रकार के सस्त्र अमीर धारण कर सकते थे। शाहजहॉ को भी वस्त्रो में विशेष रूचि थी। वह मुगलों के वैाव और शान–शैकत के अनुरूप वस्त्र धारण करता था। औरंगजेब जो कि एक कट्टरपन्थी सम्राट था साधारण वस्त्र पहनता था। रात्रि के लिए भिन्न वस्त्र होते थे।

खानपानः

मुगलकाल में शासक वर्ग के लिये भोजन की विशेष व्यवसथा होती थी। मुगल सम्राटों तथा अमीरों को भारतीय फल तथा मिठाईयां काफी पसन्द थी। आगरा बाजार में सुगन्धित मिठाइयों की खूब बिक्री होती थी। अमीर प्रायः प्रतिभोज का आयेजन करते रहते थे एक अतिथि को लगभग बीस प्रकार के पकवान परोसे जाते थे। मुगल काल में मांस खाने का कम शोक था। मुगल गदृदी को पुनः प्राप्त करने से पहले हूमायुँ ने मांस खाना छोड दिया था अकबर की मांस खाने की में ज्यादा रूचि नहं थी। वह कभी–कभी मांस खाता था। बदायूँनी के अनुसार सम्राट ने मांस के साथ–साथ लहसुन तथा प्याज खाना भी बन्द कर दिया था। जहांगीर ने रविवार तथा गुरूवार को पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। जहाँगीर को गुजराती तरीके से बनायी गयी खिचड़ी पसन्द थी। अबुल फजल ने आइन–ए–अकबरी में विभिन्न सब्जियों, मांसाहारी व्यंजनों एवं मिठाईयों की लम्बी सूची दी ह। मुस्लिम उच्च वर्ग के लोग चावल से काबुली दुज्यबिरियान, कीमा पुलाव एवं अन्य व्यंजन बनाते थे, जिसमें मक्खन एवं काली मिर्च मिलाते थे। मिष्ठान में हलवा, मिठाई, जलेबी आदि चीजें उत्तम प्रकार की चीनी एवं फलूदा से बनायी जाती थी। आसफ खान द्वारा सर टामसरों के स्वागत म दिये गये भोज के वर्णन से शाही व्यंजन का पता चलता है।

भारत के जिन क्षेत्रों में धान प्रमुख फसल थी वहाँ के ग्रामीण लोगों का मुख्य भोजन चावल था। बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, असम तथा दक्षिण भारत धान की फसल के प्रमुख क्षेत्र थे। इसी तरह राजस्थान और गुजरात में ज्वार और बाजरा की फसल ज्यादा होने के कारण यहाँ के ग्रामीण लोगों का प्रमुख भोजन ज्वार और बाजरा से निर्मित खाद्य पदार्थ

था। इसी प्रकार कश्मीर में एक निम्न श्रेणी का चावल साधारण वर्ग का सामान्य भोजन था। बिहार के किसानों का मुख्य आहार मटर के आकार के अन्न पर निर्भर था, जिसे 'किसारी' कहते थे। गुजरातियों को चावल एवं दही बहुत पसन्द था। जहाँगीर ने उल्लेख किया है कि कश्मीरी लोगों का मुख्य भोजन उबला चावल एवं उबली हुई नमक मिश्रित सब्जी था।

सौन्दर्य प्रसाधन, श्रृंगार एवं आभूषण

प्राचीन काल से ही भारतीयों को सौन्दर्य प्रसाधन सम्बन्धी विधियों जैसे बाल रंगने की विधि, गंजेपन को दूर करने की दवा एवं शराब से बाल साफ करने के लिए लगाये जाने वाले पदार्थों का ज्ञान था। मुगल काल में भी इन सब का खूब प्रचलन रहा। दाढ़ी पर कंघी करना और इत्र लगाना तथा बहुमूल्य पाशाकें पहनना सम्मान और कुलीनता के द्योतक माने जाते थे। आधुनिक साबुन, पाउडर और क्रीम की जगह घसूल, उपताना और चन्दन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के मूल्यवान इत्र प्रयोग में लाये जाते थे।

हिन्दुस्तानी स्त्री के लिए सुहाग या वैवाहिक जीवन का मतलब अपने शरीर पर आभ्षणों का प्रयोग था। इसमें कुलीनता एवं प्रदर्शन की भावना भी निहित थी। हिन्दू स्त्री केवल विधवा होने की अवस्था में ही वह अपने आभूषणों एवं जवाहरातों का त्याग करती थी तथा अपने सिर से सुहाग की निशानी के रूप में लगाया जाने वाला सिंदूर भी मिटा देती थो।

आवास

मुगलकालीन राजमहन सामान्यतः नदियों के किनारे बने होते थे। कुछ महल तो पथरीली चट्टानों पर बने होते थे, जिसके चारों ओर कृत्रिम झील हुआ करती थी। सम्भवतः मुगलों ने हिन्दू शहरों के विशिष्ट तत्व, अर्थात् महलों में सरोवर, मन्दिर, चौड़ा और खला स्थान और उनकी इमारतों की ऊँचाई और सौष्ठव में कुछ अपने विशिष्ट तत्व जोड़े और इस प्रकार मुगलकालीन नगरों का स्वरूप विकसित हुआ। इन महलों के दो भाग होते थे–बाह्य और आन्तरिक। भीतरी हिस्से में रानियों एवं राजकुमारियों के कक्ष, व्यक्तिगत सभागार, मनोरंजन कक्ष, स्नानगृह आदि होते थे जबकि दूसरे भाग में दीवान–ए–आम, दीवान–ए–खास, भण्डारग्रह आदि होते थे।

शाही महल की एक विशेषता घड़ियाल का प्रयोग तथा घंटों की घोषणा थी। हुमायूँ में चन्द्रमास की पहली और चौदहवी तिथि को दिन में कई बार जसे उषाकाल में, सूर्योदय के पश्चात्, सूर्यास्त के समय और रात में ढोलकी ध्वनि से समय की घोषणा करने की पद्धति प्रारम्भ की। उसके उत्तराधिकारी अकबर ने ुनः घड़ियाल की प्राचीन पद्धति अपना ली; और जहाँ भी सम्राट का तम्बू जाता घण्टा और घड़ियाल उसके साथ चलते थे। राजधानी के बाहर शिकार एवं क्रीड़ा यात्रा या सरकारी दौरों के लिए अनेक प्रकार के तम्बुओं का प्रयोग किया जाता था। मुगल सम्राट हुमायूँ ने अनेक ंकार के छोटे तथा बड़े शामियानों और तम्बुओं के आकार निर्धारित कर दिये, जो सम्राट की कुशलता एवं रूचि को प्रदर्शित करता है। हुमायूँ ने एक शामियाना इतना बड़ा बनवाया कि उसे खड़ा करने हेतु खम्भों के लिए अनेक ढाचों की आवश्यकता होती थी।

त्यौहार एवं उत्सव

मुगलकाल में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के लोग अपने–अपने त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया करते थ। पूरे देश में इनके मनाने में एकरूपता थी, परन्मतु स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव उन पर पड़ता था। ये स्थान–स्थान पर मामूली अन्तर के साथ पाये जाते थे तथा इनकी प्रसिद्धि में भी स्थान विशेष पर अन्तर था। साज–सज्जा प्रकाश की व्यवस्था, पटाखे, सुन्दर जुलूस, सोने, चाँदी, हीरे–मोती आदि के आभूषणों का प्रदर्शन भारतीय मुसलमानों के त्यौहारों के आवश्यक अंग थे जो कि हिन्दू संस्कृति के प्रभाव का द्योतक था। अकबर एवं जहाँगीर ने कुछ हिन्दू त्यौहारों को अपनाया एवं उन्हें राजदरबार के कैलेण्डर में स्थान दिया। हुमायूँ ने तुलादान को स्वीकार किया। अकबर ने होली, दशहरा एवं बसन्त पंचमी को खूब ढंग से मनाया तथा जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने इस प्रथा को कायम रखा। औरंगजेब ने अधिकांश हिन्दू एवं फारसी त्यौहारों को राजदरबार में प्रतिबंधित कर दिया था।

सामाजिक आचार–व्यवहार

हिन्दू एवं मुसलमान भिन्न–भिन्न तरीके से मित्रों, संबंधियों एवं बड़ों का स्वागत करते थे। मनूची लिखता है कि मुगलकाल में हिन्दू पाँच प्रकार से प्रणाम करते थे। अपने समान आयु के लोगों के बीच 'राम–राम' कहने की प्रथा थी। एक उच्च पदस्थ व्यक्ति जैसे गर्वनर, मंत्री या सेनानायक का स्वागत दोनों हाथ जोड़कर सिर के ऊपर उठाकर किया

जाता था। छोटे लोग बड़ों का सम्मान झुककर एवं पैर छूकर करते थे। लोग अपने गुरूओं के सामने सीधे लेटकर उन्हें सम्मान देते थे। राजा भी इसी प्रकार का सम्मान पाता था। ब्राह्मणों को छोड़कर सभी वर्गों के लोग राजा के सामने साष्टांग लेटकर उन्हें सम्मान देते थे। ब्राह्मण लोग सिर्फ हाथ जोड़कर उसे सिर से ऊपर उठाकर सम्मान देते थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरूनानक के विषय में प्रचलित हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों से प्रणाम का उत्तर "सत–करतार" कहकर देने को कहा था।

ग्रामीण आर्थिक जीवन

मुगल साम्राज्य में आर्थिक जीवन का अध्ययन मुख्यतः दो स्तरों पर किया जा सकता है, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि की प्रधानता पूर्ववत बनी रही, जबकि नगरीय जीवन में व्यापार और शिल्प–उत्पादन की स्थिति पहले को तुलना में अधिक समुन्नत रही। सबसे बढ़कर यूरोपीय व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ और विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों ने भारत में अपने क्रिया–कलाप आरम्भ किए। मुद्रा प्रणाली भी अधिक सुसंगठित बनी और बैकिंग एवं बीमाकरण आदि की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हई। इन परिवर्तनों के बावजूद मुगलकालीन अर्थ–व्यवस्था का स्वरूप कृषि–प्रधान ही रहा और राज्य की आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत लगान या भू–राजस्व ही रहा।

राजस्व व्यवस्था

मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के बाद ही अकबर ने राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप देने के उपाय किय। इस क्रम में उसने विभिन्न प्रयोग किये और अन्ततः शेरशाह द्वारा विकसित लगान–व्यवस्था को कुछ सुधारों के साथ ग्रहण किया। अकबर की इसी व्यवस्था का प्रचलन उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा।

अकबर के शासनकाल में धार्मिक नीति का स्वरूप तथा उद्देश्य

इतिहासकारों में अकबर की धार्मिक नीति के स्वरूप तथा प्रेरक उद्देश्य को लेकर भारी मतभेद हैं। विन्सेंट स्मिथ तथा के॰ ए॰ निज़ामी के मत में वह पैगंबर–शासक का रुतबा (पद) प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। उन्होंने अकबर के इस कार्य की भर्त्सना की है। दूसरी ओर अतहर अली आदि कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर का उद्देश्य एक धर्म–निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। एक अन्य मत के अनुसार, जिसके प्रतिपादक मुख्यताः आई0 एच0 कुरैशी हैं, अकबर परम्परावादी इस्लाम का उत्पीड़न कर रहा था, जबकि इक़्तिदार आलम खाँ के अनुसार अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य अभिजात प्रशासक वर्ग में, जिसका गठन विभिन्न जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों द्वारा हुआ था, संतुलन पैदा करना था। अकबर के व्यक्तिगत धार्मिक विचार क्या थे और उन्होंने अकबर की धार्मिक नीति को किस हद तक प्रभावित किया, इस विषय पर भी भारी मतभेद हैं, अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा के लिए हमें उसका अध्ययन एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए।

वस्तुतः अकबर ने सम्प्रभुता के ऐसे सिद्धान्त की स्थापना का प्रयास किया जिसमें भारत की धार्मिक तथा जातिगत विषमताओं का पूरा ध्यान रखा गया था ताकि मुगल साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार मिले। उस युग में जबकि धर्म और जाति को अलग–अलग रखना प्रायः असम्भव था, अकबर द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभुता सिद्धान्त को केवल राजनीति या धार्मिक उद्देश्य से ही प्रेरित नहीं माना जा सकता। उसमें धर्म और राजनीति–दोनों के ही तत्व विद्यमान हैं। जिनको अलग–अलग करके नहीं देखा जा सकता। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर धार्मिक, राजनीतिक आदर्शों से अनुप्रेरित संप्रभुता सिद्धान्त को, जिसको व्यवहार की कसौटी पर कसा गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श से सम्बद्ध करने में सफल रहा जहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म–पालन की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। अकबर की धार्मिक विचारधारा के निर्धारण के विभिन्न चरण हैं जिनके विधिवत अध्ययन से उसके उद्देश्य सुस्पष्ट हो जाते हैं।

शाहजहाँ का प्रारम्भिक जीवन और राज्याभिषेक

प्रारम्भिक जीवन : शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी, 1592 ई0 में हुआ था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। वह अपने दादा अकबर का बड़ा ही प्रिय–पात्र था। उसकी शिक्षा–दीक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी और थोड़े ही दिनों में उसने फारसी की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। वह गोली चलाने, घुड़सवारी करने और तलवार चलाने आदि में दक्ष हो गया था। जहाँगीर के पुत्रों में शाहजहाँ ही योग्य, साहसी और चरित्रवान था। उसकी गणना साम्राज्य के रण–पण्डितों में होती थी। 1612 ई0 में 20 वर्ष की आयु में खुर्रम का विवाह अर्जुमन्द बानू बेगम से कर दिया गया। शाहजहाँ ने काँगड़ा, मेवाड़ और अहमदनगर के अभियानों में शानदार सफलता प्राप्त की थी। इसी से प्रसन्न होकर जहाँगीर ने उसे 'शाहजहाँ' (विश्व सम्राट) की उपाधि प्रदान की थी।

राज्यारोहण : जहाँगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्खिन में था। उसके मरते ही उसके दो बेटों शहरयार और शाहजहाँ में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ। खुसरो का वध हो चुका था और परवेज मद्यपान के कारण मर चुका था। शहरयार नूरजहाँ का दामाद था और इसलिए नूरजहाँ उसे गद्दी पर बैठाना चाहती थी। वह सदर मुकाम के निकट ही था। अतः पिता के मरते ही नूरजहाँ की सहायता से उसने अपने को सम्राट घोषित किया। नूरजहा के भाई आसफ खाँ ने, जो शाहजहाँ का ससुर भी था, शाहजहाँ को बादशाह की मृत्यु की सूचना दी और शाहजहाँ के आने तक खुसरो के लड़के, दायरबख्श को अस्थायी बादशाह के रूप में खड़ा किया। उसने एक विशाल सेना के साथ लाहौर जाकर शहरयार की सभी योजनाओ को विफल कर दिया। शहरयार पकड़ा गया और नेत्रहीन कर जेल में डाल दिया गया। इसी बीच शाहजहाँ आगरा पहुँचा। 4 फरवरी, 1628 ई0 के दिन वह 'अबुल, मुजफ्फर शिहाबुद्दीन, साहिब–ए–किरान, शाहजहाँ, गाजी' के नाम से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने गद्दी के लिए सभी हकदारों का कत्ल करवा दिया। नूरजहाँ भी कैद कर ली गयी और राज–काज से अलग कर दी गयी। उसे दो लाख रूपये वार्षिक पेंशन नियत कर दी गयी। 1645 ई0 में नूरजहाँ की मृतयु हो गयी और जहाँगीर की समाधि के निकट ही उसे दफना दिया गया।

शाहजहाँ के शासन–काल की मुख्य घटनाएँ

विद्रोह : शाहजहाँ ने गद्दी पर बैठते ही आसफ खाँ को अपना वजीर (प्रधान मन्त्री) बनाया और महावत खाँ को अजमेर का सूबेदार। शाहजहाँ के शासन के प्रारम्भिक दिनों में दो–तीन विद्रोह हुए। पहला विद्रोह बुन्देला सरदार जुझार सिंह का था जो उसके राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में ही हुआ। जुझार सिंह बुन्देल खण्ड के वीरसिंह बुन्देला का बेटा था। उसने बुन्देलखण्ड में शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया, परन्तु मुगलों से हार कर पहाड़ी में जा छिपा और वहीं से सम्राट् को तंग करता रहा। अन्त में वह औरंगजेब द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ। गोड़ों के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरा विद्रोह खाँ जहाँ लोदी का था जो दक्खिन का सूबेदार रह चुका था। खाँ जहाँ लोदी ने अहमदनगर के अन्तिम निजामशाही सुल्तान निजामुल–मुल्क से सन्धि कर ली। अनेक मराठे और राजपूत सरदार उसके समर्थक थे। जहाँगीर की मृत्यु के समय, जो अशान्ति उत्पन्न हुई उससे लाभ उठाकर उसने शाहजहाँ के शासन के दूसरे वर्ष में विद्रोह किया। परन्तु शाहजहाँ की क्रियाशीलता के सामने उसकी एक न चली। वह हार गया और अपने पुत्रों के साथ इधर–उधर भटकता रहा। अन्त में पुत्र के साथ युद्ध मे मारा गया।

दक्षिण गुजरात का दुर्भिक्षः शाहजहाँ के शासन के तीसरे वर्ष ही दक्षिण गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, जो तीन वर्षों तक रहा। इस दुर्भिक्ष में सहस्त्रों मनुष्य भूखों मर गये। **अब्दुल हमीद लाहौरी** ने दुर्भिक्ष का वर्णन करते हुये बताया है कि निवासियों को घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। एक–एक रोटी के लिये लोग अपना जीवन बेचने के लिये तैयार थे परन्तु कोई खरीदने वाला न था। जो लोग सदैव दान दिया करते थे, वे भोजन के लिये दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे। गरीबी इतनी बढ़ गयी थी कि लोग एक–दूसरे को खाने लगे थे। यहाँ तक कि लोग अपनी सन्तान को भी खा जाते थे। सड़कें मुर्दों से पट गयी थीं और राह चलना बन्द हो गया था।

1526 ई0 के बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कमजारे और अस्थिर थी। देश के अनेक छोटे–छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। देश में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। लोदी राजवंश के अन्तिम सुल्तान इब्राहीम लोदी के काल तक दिल्ली सल्तनत की सीमायें दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर तथा बिहार तक सीमित रह गयी थी। दिल्ली के अतिरिक्त भारत में अनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये, जिससे देश की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। देश में राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। ऐसी दशा में भारत में कोई ऐसी शक्ति न थी, जो बाबर का सफलतापूर्वक सामना करती। तत्कालीन राजनीतिक दशा का उल्लेख करते हुए बाबर अपनी आत्मकथा 'तुजुके बाबरी' में लिखता है कि ''जब मैंने हिन्दुस्तान विजित किया तो यहां पांच मुसलमान तथा दो हिन्दू बादशाहों का राज्या था। इन लोगों को बड़ा सम्मान प्राप्त था और यह स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। इनके अतिरिक्त पहाड़ियो तथा जंगला में छोटे–छोटे राज्य एवं राजा थे। किन्तु उनको कम आदर सम्मान प्राप्त था।

भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से सामाजिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आये। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म राज्य का एक विशेष अंग था और उसमें उलेमाओं का प्रभुत्व था। समाज दो प्रमुख धर्मो हिन्दू और मुस्लिम में बंटा हुआ था। मुस्लिम जाति शासक वर्ग थी। अतः इन्हें विशेष अधिकारी और सुविधाएं प्राप्त थी। वे अधिकतर सेना और प्रशासन में लगे हुए थे। मुसलमान सुन्नी और शिया में बंटे हुए थे। जो हिन्दू मुसलमान धर्म अपनाते थे, उन्हें प्रशासन में ऊँचे पद दिये जाते थे और वह अपने को हिन्दुओं से ऊपर समझते थे। फिरोज तुगलक और सिकन्दर लोदी ने धर्म परिवर्तन को विशेष प्रोत्साहन दिया। दूसरी तरफ उच्चवर्गीय हिन्दुओं के तिरस्कार से भी विवश होकर निम्न जाति

के हिन्दुओं ने धर्म परिवर्तन किया। हिन्दुओं के साथ एक लम्बे सम्पर्क से मुस्लिम समाज भी प्रभावित हुआ। जो हिन्दु मुसलमान बने थे, उन्होंने अपने अन्धविष्वासों को नहीं छोड़ा। हम देखते है कि फिरोज तुगलक को कई बार आदेश देना पड़ा कि मुसलमान स्त्रियां फकीरों की कब्रों पर फूलमालाएं चढ़ाने नहीं जाये। मुसलमान भोग–विलासी हो गये, जिसके कारण उनकी शक्ति भी उत्तरोत्तर कम होती गयी।

हिन्दू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ था। विभिन्न जातियों में प्रेम और मेल–मिलाप की कमी थी। अछूतों की दशा विशेष रूप से शोचनीय थी। उन्हें स्पर्श करना और उनके साथ अन्न–जल ग्रहण करनो धर्म–विरूद्व समझा जाता था। उनके धर्म ग्रन्थों को पढ़ने का अधिकारी छीन लिया गया और उनका मन्दिर–प्रवेश वर्जित कर दिया गया। हिन्दुओं में बाल–विवाह, सती प्रथा आदि अनेक कुरीतियां थी। उच्च जातियों एवं सम्भ्रान्त परिवारों में सती प्रथा विशेष रूप स प्रचलित थी। विधवाओं को उनकी इच्छा के विरूद्व पति के शव के साथ जिन्दा जला दिया जाता था। पुर्तगाल–निवासी बारबोसा विजयनगर राज्य में सती प्रथा का वर्णन करते हुए बताता है कि सती प्रथा यहां इतनी प्रचलित है और समाज में उसे इतने आदर के साथ देखा जाता है कि जब राजा की मृत्यु होती है तब चार सौ या पांच सौ रानियां राजा के शव के साथ सती हो जाती है। बारबोसा ने सती होने के ढंग का बड़ा हृदय–विदारक वर्णन किया है।

उस समय स्त्रियों की स्थिति असन्तोषजनक थी। केवल कुछ उच्चवर्गीय स्त्रियों को छोड़कर स्त्रियों में उच्च शिक्षा का अभाव था। बाल–विवाह की प्रथा से उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा विधवाओं के पुनर्विवाह की समाजा द्वारा अनुमति नहीं थी। मुसलमानों के आगम से हिन्दुओं में पर्दे की प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया। लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्थिति कमजोर थी। पुत्र के होने पर परिवार में उत्सव मनाया जाता था, जबकि पुत्री होना दुख का विषय था। राजपूतों के कहीं–कहीं कन्यावध की कुप्रथा भी विद्यमान थी। राजघरानों और धनाढ्य वर्ग के लोगों को छोड़कर अधिकांश हिन्दू केवल एक ही पत्नी रखते थे। इस कारण उनका घरेलू जीवन शान्तिपूर्ण था। हिन्दू परिवार में स्त्री को अपेक्षाकृत आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। दूसरी तरफ मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को हिन्दुओं की अपेक्षा कम सम्मान था। मुसलमानों में सामान्य लोगों में भी बहु–विवाह प्रचलित था। राजघरानों और अमीर वर्ग के लोग अपनो शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी औरते रखने का अधिकार था। मुसलमानों में पर्दे की प्रथा बहुत कठोर थी। समाज मुख्य रूप से दो वर्गो में बंटा हुआ था– उच्च वर्ग एवं साधारण वर्ग। प्रथम वर्ग में सामन्त, दरबारी, काजी, उलेमा, आलिम, शेख, सूफी पण्डित और भूमिपति थे। समाज का यह बुद्विजीवी वर्ग भी था। इस वर्ग के हाथों में सारे अधिकारी थे और यह सब सुविधाओं का उपभोग करता था। सुल्तान और उसके सामन्त शराब और विलासता में डूबे रहते थे। यह उच्च वर्ग संख्या में बहुत कम था। बहुसंख्यक साधारण वर्ग के लोगों का जीवन सादा एवं आडम्बर से दूर था। समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। सुल्तान और उसके दरबारी दास रखते थे। दासों को खरीदा एवं बेचा जाता था।

हिन्दू और मुसलमान दोनों ने एक साथ रहते–रहते एक–दूसरे को समझने का प्रयास किया। हिन्दू और मुसलमानों के बोच की दूरी को कम करने में तत्कालीन समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। कबीर (पन्द्रहवी शताब्दी के प्रथम ढाई दशक) और नानक (1469–1538 ई0) ने विशेष रूप से हिन्दू मुस्लिम एकता की आवष्यकता पर जोर दिया। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मो के लोग उनके अनुयायो थे। कबीर ने मुख्य रूप से दोनों धर्मो की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। कबीर ने दोनों धर्मो के बाह्य आचरण का अस्वीकार कर राम और रही की एकता को सिद्व करने का प्रयत्न किया। उन्होंने हिन्दू–मुस्लिम धर्मो को समानता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। भक्ति आन्दोलन के फलस्वरूप पहली बार हिन्दू तथा मुसलमानों ने परस्पर एक–दूसरे के निकट आने तथा समझने का प्रयास किया। इस्लाम धर्म के अन्तर्गत सूफी सन्तों ने भक्ति धारा के सन्तों के उद्देष्य के साथ एक मत होकर उपदेश दिया। भक्ति आन्दोलन द्वारा प्रान्तीय और स्थानीय भाषाओं विशेष कर बंगला, हिन्दी, मराठी और मैथिली के विकास में बहुत प्रोत्साहन मिला। इस युग में इन भाषाओं में बहुत–सी रचनाएं लिखी गई, जिन्हें उच्च कोटि की कृति माना जाता है।

इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले यहां के लोगों की संख्या का विकास हो रहा था। युद्व और शान्ति के समय तथा शासन सम्बन्धी राजकायों में सहयोग देने के कारण यहां की जनता और शासक वर्ग के लोगों में एक–दूसरे को समझने और परस्पर निकट आने का अवसर मिला। दिल्ली की अपेक्षा अन्य प्रान्तीय राज्यों में इस प्रकार के भाई–चारे का अधिक विकास हो रहा था, विशेष रूप से कश्मीर और बंगाल में। यहां के सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृत तथा अन्य आधुनिक भाषाओं के संरक्षण की नीति अपना रहे थे। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबेदीन ने अनेक निर्वासित ब्राह्मण परिवारों को वापिस बुलवाया। उसने अनेक विद्वान पंडिता को अपने दरबार में आश्रय दिया, जिन्हें धर्म की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। उसके दरबार में संस्कृत और हिन्दी के अनेक विद्वान रहते थे तथा लोग समानता का जीवन व्यतीत कर रहे थे।

मुगल शासकों का हिन्दुओं के प्रति दृष्टिकोणः

बाबर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुके बाबरी' में भारतीय मुसलमानों को हिन्दुस्तानी कहकर सम्बोधित किया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने प्रशासन के क्षेत्र में अधिकांश हिन्दुओं को उसी पद पर रहने दिया। चंदेरी विजय के बाद मेदिनी राय की दो राजकुमारियों की शादी मिर्जा कामरान तथा हुमायूँ से करके अपनो उदारता का परिचय दिया और अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि तैयार की।

अपने उत्तराधिकारी हुमायूं को सुझाव देते हुए बाबर ने कहा था कि भारतवर्ष में अनेक धमानुयायी रहते है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा मस्तिष्क धार्मिक भावनाओं से प्रभावित न हो। तुम सभी धर्मो के प्रति सहानुभूति रखकर अपनी सम्पूर्ण प्रजा के लिए यथोचित न्याय करना। गायों का वध न करके हिन्दुओं का सहानुभूति प्राप्त करना। मंदिरों को ध्वस्त न करके हिन्दुओं की कृतज्ञता को प्रज्ञपत करने का प्रयास करना और साम्राज्य में शांति रखना। हिन्दुओं के दमन की अपेक्षा प्रेम की तलवार से इस्लाम धर्म का प्रचार करना। शिया तथा सुन्नी के मतभेदों पर कभी ध्यान न देना क्योंकि इससे इस्लाम की शक्ति क्षीण होगी। प्रशासन तथा राजनीति को धर्म के अवगुणों से बचाना। इस प्रकार बाबर प्रथम मुगल सम्राट था, जिसने अच्छे हिन्दू–मुस्लिम संबंध का बीजारोपण किया।

हुमायूँ ने आजन्म अपने पिता के सुझाावों का पालन किया तथा उसके आदर्शो का अनुकरण किया। हिन्दुओं के प्रति उसके हृदय में विशेष स्थान था। चौसा के युद्व में एक हिन्दू भिष्ती ने उसकी प्राण रक्षा की। कृतज्ञता में एक दिन के लिये सम्राट ने उसे राजगद्दी पर बिठाया। चौसा से भागते हुए गहोरा के हिन्दू राजा ने उसकी सहायत की थी। मालवा अभियान के समय मंझू के सुझाव पर उसने हिन्दुओं की हत्या बंद कर दी। राजा मालदेव ने उसे सहायता का आष्वासन दिया। अर्सकीन तथा जेम्स टाड के अनुसार हुमायूँ ने मेवाड़ की रानी कर्णवती की राखी स्वीकार कर सच्चे भाई के रूप में रानी की सहायता करने के लिए प्रस्थान किया, किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणामस्वरूप वह उचित समय पर सहायता न कर सका। अमरकोट के शासक ने उसे अपने यहां शरण दी। यहीं पर राजकुमार अकबर का जम्नम हुआ। इन परिस्थितियों और घटनाओं के परिणामस्वरूप उसके हृदय में हिन्दुओं के प्रति सहानुभूति थी। अतः सम्राट ने हिन्दू–मुस्लिम संबंध को अच्छा बनाने का सफल प्रयास किया।

शेरशाह ने अपनी शासन नीति में हिन्दू मुसलमानों को समान रूप से सुविधाएँ प्रदान की। उसने दानों सम्प्रदायों के लिये अलग–अलग सरायों की व्यवस्था की। टोडरमल तथ बरमजीद गौड की नियुक्ति करके हिन्दू मुस्लिम समन्वय का एक उदाहरण पेश किया। उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद आदिल शाह ने राजस्थान में रेवाड़ी के घूसर बनिया हेमू को प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया।

मुगल सम्राट अकबर एक उदारवादी शासक था। वह भारतवर्ष को अपने मातृभूमि तथा हिन्दू, मुस्लिम सभी को अपनी प्रजा समझकर समान रूप से सुविधा प्रदान करना चाहता था। डा0 मुहम्मद यासीन के अनुसार, अकबर का मुख्य उददेष्य मुस्लिम सम्प्रदाय को भारतीय बनाकर राजनीतिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक रंगमंच पर एकता प्रदान करना था। हिन्दू मुस्लिम असमानता को दूर करने के लिये 1564 में जजिया कर तथा 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया। 1562 में आगरे के शासक भारमल की राजकुमारी तथा जैसलमेर के शासक मोटा राजा उदयसिंह की पुत्री से शादी करके हिन्दू मुस्लिम संबंध की सराहनीय पृष्ठभूमि तैयार की। सम्राट अकबर ने राजकुमार सलीम का वैवाहित संबंध भगवानदास की पुत्री तथा मानसिंह की बहन से 1584 में सम्पन्न कराकर अपने उत्तराधिकारी के भी दृष्टिकोण में परिवर्ततन करने का फल प्रयास किया। राजा भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल तथा बीरबल को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुकित करके अपनी सौहार्दता तथा उदारवादी नीति का परिचय दिया। राजपूत नीति के अन्तर्गत रणथम्भौर के राजा सुरजन हाडा को विशेष सुविधाएँ प्रदान की।

उसकी सम्पूर्ण प्रजा धर्म के नाम पर अनेक वर्गो में विभक्त थी। अतः वह दीन–इलाही के माध्यम से सम्पूर्ण प्रजा को एकता के सूत्र में बॉधना चाहता था। अकबर स्वयं सूर्य तथा अग्नि की उपासना करता था। हिन्दु ओं की भांति मस्तर पर तिलक लगाता था। सम्राट अकबर रक्षाबंधन, दीवाली, दशहरा तथा होली का त्यौहरा हिन्दुओं की भांति मनाता था। बदायूंनी तथा इसाई पादरियों के अनुसार उसने गौवध तथा मांसाहार पर प्रतिबन्ध लगाकर हिन्दुओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति का परिचय दिया। साहित्य के क्षेत्र में उसने अथर्ववेद, कहाभारत तथा रामयण के अनुवाद फारसी में कराया। यही नहीं उसे लीलावती नामक गणित की पुस्तक का अनुवाद फारसी में कराकर हिन्दू साहित्य के प्रति सौहार्दता का परिचय दिया। वास्तुकला, चित्रकला पर तो हिन्दुओं और मुसलमानों का सहयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इस प्रकार सम्राट अकबर ने हिन्दू एवं मुसलमानों को राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकीर एवं

सुविधाएँ प्रदान कर दोनों सम्प्रदायों के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई और निष्चित रूप से वह इसमें सफल रहा।

मुगल सम्राट जहॉगीर का दृष्टिकोण हिन्दुओं के प्रति अकबर की अपेक्षा में कम उदारवादी था, लेकिन वह स्वयं रक्षाबंधन, दीवाली आदि के त्यौहरों में भाग लेता था। मेवाड़ के राण कर्णसिंह तथा अमरसिंह के साथ उसने सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाई।[25] मानसिंह को प्रशासनिक एवं सैनिक पदों पर विभूषित किया। जहॉगीर ने हिन्दुओं की स्थिति को हानि पहुॅचाये बिना इस्लाम के हित में कार्य किया। उसने हिन्दुओं को तीर्थ यात्रा और नये मन्दिरों के निर्माण की अनुमति देने में अपने पिता की नीति का अनुसरण किया।

शाहजहॉ का शासन कला रूढिवादिता तथा धार्मिक कट्टरवाद का समय माना जाता है। पादशाह के लेखकर के अनुसार शाहजहॉ ने अनेक हिन्दू मन्दिरों को ध्वस्त कराकर अपनी रूढ़िवादी धार्मिक नीति का परिचय दिया। केवल बनारस में 72 मन्दिरों को ध्वस्त कराया गया। जयसिंह तथा जसवंत सिंह को राज्य प्रशासन में स्थान देने के बावजूद भी धार्मिक कट्टरवाद का परित्याग नहीं किया। शाहजहॉ ने हिन्दुओं पर तीर्थ कर फिर से लगा दिया। इस आर्थिक बोझ के कारण बहुत से हिन्दू जो धार्मिक कार्य करना चाहते थे, उन्हे दिक्कतें आ गई। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बनारस के एक विद्वान कविन्द्राचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल सम्राट से मिला, जिनके अनुरोध पर शाहजहां ने यह कर समाप्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र दारा के विचारों से प्रभावित होकर शाहजहां ने अपनी धार्मिक कट्टरवाद की नीति का परित्याग कर दिया। दारा के प्रभाव के कारण ही 1647 ई0 के बाद बहुत से ध्वस्त हुए मन्दिरों को फिर से निर्माण करने का अधिकारी हिन्दुओ को मिला।

हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदायों को समीप लोने में राजकुमार दारा शिकोह का प्रयास अत्यन्त प्रशंसनीय है। अपने जीवन काल में उसने हिन्दू धर्म, दर्शन का अध्ययन किया। रामायण, गीता तथा उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया।[27] मुहम्मद काजिम के अनुसार वह ब्राह्मणों के समाज में रहता था, योगी, साधु तथा सन्यासियों के साथ घूमता था और उन्हें अपना गुरू मानता था। वह वेद को ईष्वर का शब्द मानता था। वह अल्लाह के पवित्र नाम के स्थान पर प्रभु का स्मरण करता था। उसने अपनी ॲगूठी पर हिन्दी तथा संस्कृत के शब्दा को खदुवाया था। टाइटस के अनुसार, यदि उसकी हत्या नह होती और मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त हुई होती तो इतिहास का कुछ और ही स्वरूप होता।

सम्राट औरंगजेब ने हिन्दुओं के प्रति उदारनीति नहीं अपनाई। उसके पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों की नीतियों पर हिन्दू राजकमारियों का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। परन्तु औरंगजेग के हमर में सिर्फ दो हिन्दू रानियॉ थी और उनका प्रभाव सम्राट पर नगण्य था। औरंगजेब ने हिन्दुओं के प्रति रूढ़िवादी तथा धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया। 1669 ई0 में मथुरा, बनारस, अयोध्या में अनक हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त कराकर उसने मस्जिदों का निर्माण कराया। मुहम्मद साकी के अनुसार उसने इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठ को पुनः बढ़ाया। जोधपुर, चित्तौड़ तथा आमेर में अनेक मंदिरों को गिरवाया। अमरोहा तथा सम्भल की मस्जिरों में आज भी हिन्दू मंदिरों का अवशेष दिखाई देते है।

औरंगजेब ने मुस्लिम कानू के अनुसार कर निर्धारित किया तथा हिन्दओं पर जजिया कर पुनः लगाया। उसने धर्म परिवर्तन के लिए हिन्दुओं को धन तथा पद का प्रलोभन दिया। आगरा के पास अनेक राजपूतों का धर्म परिवर्तन कराया। उसकी शासन नीति में अच्छे हिन्दू मुस्लिम संबंध की कोई संभावना नहीं थी। धर्म परिवर्तित हिन्दुओ को वह स्वयं कलमा पढ़ाता था और उन्हें खिलत तथा अन्य उपहारों से विभूषित करता था।

इस प्रकार हम देखते है कि मुगल काल में एक दो सम्राटों को धार्मिक कट्टरवादी नीति के बावजूद हिन्दू–मुस्लिम संबंध अच्छा बन रहा। सम्राट अकबर ने दोनों सम्प्रदायों को सामाजिक दृष्टि से एक साथ लाने का प्रयास किया, जिसमें वह काफी हद तक सफल रहा। मुसलमान अमीर हिन्दू राजाओं के साथ त्यौहारों में भाग लेते थे। यहां तक कि औरंगजेब के शासनकाल में भो बहादुर खॉ होली के त्यौहार पर राजा सुभान सिंह, राय सिंह राठौर, राजा अनूप सिंह और राजा मोखत सिंह चंदावत के यहा जाता था। मीर हसन तथा मीर मुहर्सान बड़ी श्रद्वा के साथ हिन्दू त्यौहारों में भाग लेते थे तथा हिन्दू राजा तथा अमीर उन्हें प्रीतिभोज पर आमंत्रित करते थे। सर यदुनाथ सरकार के अनुसार हिन्दू–मुस्लिम सम्बन्ध भारतवर्ष के लिए लाभदाया सिद्व हुआर। भारत में स्थायी शांति, रीति–रिवाज, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में विचारों के आदान–प्रदान से एक नवीन संस्कृति का जन्म हुआ। ऐतिहासिक साहित्य का विकास भी हिन्द्–मुस्लिम संबंधों का परिणाम ही था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डब्ल्यू0एच0 मोरलैण्ड, दि अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया, कैम्ब्रिज 1929, पेज–84
2. के0एम0 अशरफ, लाइफ एण्ड कण्डीशन ऑफ दे पीपुल ऑफ हिन्दुस्तान, दिल्ली, 1959, पेज–165
3. पे0एन0 चोपड़ा, सोसाइटी एण्ड कल्चर डयरिंग मुगल एज आगरा, 1956 पेज– 20–25
4. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मेडिवल इण्डियन कल्चर, आगरा, 1964, पेज–27
5. जयशंकर मिश्र, ग्यारहवी सदी का भारत, वाराणसी, 1970, पृ0 205
6. जी0एस0 घूर्या, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, न्यूयाके, 1950, पृ0 45
7. ताराचन्द, सोसाइटी एण्ड स्टेट इन मुगल पीरियड, दिल्ली, 1961, पेज–65
8. यदुनाथ सरकार, फाल ऑफ दि मुगल एम्पायर, जिल्द–4, कलकत्ता, 1950 पेज–120.25
9. मोहम्मद यासीन, सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया, लखनऊ, 1958, पेज–6
10. ए0 रशीद, सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, कलकत्ता, 1969 पेज–22
11. एस0एम0 युसूफ, सम एस्पेक्टस ऑफ इस्लामिक कल्चर, पेज–131–135
12. के0एम0 अशरफ, आपसिट पेज–173
13. इरफान हबीब, दी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ दी मुगल्स, बम्बई, 1963, पेज–94
14. उद्वत हरिशचन्द्र वर्मा, संपादक, मध्य कालीन खण्ड–2 (1540–1761), प्रथम संस्करण, 1963 हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विष्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पेज–443
15. फ्रेंकोस, पेल्सर्ट, जहांगीर्स इण्डिया, अनुवाद डब्लू0एच0 मोरलैण्ड तथा पी0गल0, दिल्ली, 1925
16. अवध बिहारी पाण्डेय, पूर्व मध्यकालीन भारत पृ0 240: लेटर मेडिवल इण्डिया, पृ0 12–13
17. ईश्वरी प्रसाद, लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ हुमायूँ, कलकत्ता, 1956, पृ0 202
18. ज0 चौबे, हिस्ट्री ऑफ गुजरात किगंडम, नई दिल्ली, 1975, पृ0 275
19. कर्नल टाड, एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिल्द 3, ऑकसफोर्ड, 1920, सम्पादित – कूक, पृ0 364–65
20. यासीन मुहम्मद, सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया (1605–1674), लखनऊ 1958
21. श्रीराम शर्मा, दि रिजीजस पालिसी ऑफ दि मुगल एम्परर्स, बम्बई, 1940, पृ0 86, तुलनीय मुहम्मद हासिम खाफी खॉ, मुन्तखुबुललुबाबय, कलकत्ता, 1874, पृ0 472